

महात्मा गाँधी के आन्दोलनों में हिंदी का योगदान

डॉ. आदर्श किशोर

सह आचार्य, हिंदी

राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर

महात्मा गांधी के सपनों के भारत में एक सपना राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का भी था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूँगा हो जाता है। खुद गुजराती-भाषी होने के बावजूद हिंदी के लिए उनका योगदान अतुलनीय रहा है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के कुछ ही वक्त बाद 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा, "जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी में बोलते हैं और सारे कामों में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। वैसे ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान अदा करें। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए।" महात्मा गांधी ने इसके बाद पांच 'हिंदी दूत' उन राज्यों में भेजे, जहाँ पर इस भाषा का ज्यादा प्रचलन नहीं था।

गांधी भारत आए तो उनका पहला आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। वे जब चंपारण गए तो सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें भाषा को लेकर आई। इस मामले में कुछ स्थानीय साथियों ने उनकी मदद की, लेकिन गांधीजी ने खुद बहुत जतन से हिंदी सीखी। स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले गांधीजी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पाया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो पूरे देश को जोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। उनके ज्यादातर भाषण गुजराती टोन की हिंदी में हैं, जिसने उन्हें जनता से इतना गहरा जुड़ाव दिया।

हिंदी के लेखकों-कवियों के साथ भी गांधीजी के रिश्ते बहुत सघन रहे। जब गांधीजी ने कहा कि हिंदी में कोई टैगोर नहीं है, तो निराला भड़क गए और गांधीजी से प्रतिवाद किया। गांधीजी ने अपनी भूल स्वीकार भी की। पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की किताब चाकलेट पर जब बनारसी दास चतुर्वेदी ने अक्षीलता का आरोप लगाया और उसे घासलेटी साहित्य कहा तो मामला गांधीजी तक पहुंचा। गांधीजी ने किताब पढ़ी और उग्र को उस आरोप से बरी करते हुए उसे समाज के हित में बताया। उस पर बाकायदा उन्होंने अपने पत्र हरिजन में लेख भी लिखा। प्रेमचंद ने माना कि उनका हिंदी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना गांधीजी के कारण ही संभव हुआ। गांधीजी जो हिंदी लिखते और बोलते थे, उसे वे हिंदी नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी कहते थे। यह उस समय की संस्कृतनिष्ठ हिंदी से अलग थी। यह सहज-सरल हिंदी थी, जिसे गांधीजी ने एक संपर्कभाषा के रूप में प्रयोग किया। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि 'राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।'

गांधीजी अपने समय के बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में उन्होंने कई अखबार भी निकाले। हिंदी में उन्होंने दो अखबार निकाले-नवजीवन और हरिजन सेवक। अपने ज्यादातर पत्रों का जवाब भी गांधीजी हिंदी में ही देना पसंद करते थे।¹

गांधी जी प्रांतीय भाषाओं के पक्षधर थे, उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा का माध्यम तो प्रत्येक दशा में मातृभाषा ही होनी चाहिए। वहाँ की शिक्षा का माध्यम भी प्रांतीय भाषाओं को बनाना चाहते थे। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि, "सारे देश के लोग हिन्दी का इतना ज्ञान प्राप्त कर लें तकि देश का राजकाज उसमें

चलाया जा सके और सभी भारतवासी एक सामान्य भाषा में संवाद कायम कर सकें।” वे अकेले राजनीतिक व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की भाषा समस्या, राष्ट्रभाषा पर इतना ध्यान दिया। आधुनिक हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा का यह कथन— “अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी- उर्दू की समस्या पर उन्होंने जितनी बातें कही हैं, वे बहुत ही मूल्यवान हैं। किसी भी राजनीतिक नेता ने इन समस्याओं पर इतनी गहराई से नहीं सोचा, किसी भी पार्टी और उसके नेताओं ने भाषा समस्या के सैद्धांतिक समाधान को नित्य प्रतिदिन की कार्यवाही में इस तरह अमलीजामा पहनाया, जैसे गांधी ने। उनकी नीति के मूल सूत्र छोड़ देने से यह समस्या दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है।”

सन् 1906 ई. में उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में कहा था, “हिन्दी के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी मुझे इस दुनिया में प्यारा नहीं है।” उन्होंने हिन्द स्वराज (सन् 1909 ई.) में लिखा “सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होना चाहिए. उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होना चाहिये।”² छह फरवरी 1916 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में भारत के वायसराय लार्ड हार्डिंग और महामना मदनमोहन मालवीय की उपस्थिति में उन्होंने समारोह की कार्यवाही एक विदेशी भाषा अंग्रेजी में चलाए जाने पर आपत्ति की और दुख जताया। फिर उन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में अपना भाषण हिंदी में दिया।

महात्मा गांधी ने 15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर के कटहलवाड़ी क्षेत्र में बिहारी छात्रों के एक सम्मेलन में कहा था, “मुझे अध्यक्ष का पद देकर और हिन्दी में व्याख्यान देना और सम्मेलन का काम हिन्दी में चलाने की अनुमति देकर आप विद्यार्थियों ने मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया है। इस सम्मेलन का काम इस प्रांत की भाषा में काम करना है, वही राष्ट्रभाषा भी है।” सन् 1917 ई. में कलकत्ता (कोलकाता) में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रभाषा प्रचार संबंध कांफ्रेंस में तिलक ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था। जिसे सुनने के बाद गाँधी ने कहा “अपने लोगों के दिलों तक तो हम अपनी भाषा के द्वारा ही पहुंच सकते हैं।”³ अपनी आत्मकथा में लिखा, “अपने ही देश में, देश से संबन्ध रखनेवाले काम की सभा में देश की भाषा का बहिष्कार कितने दुःख की बात है। महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न को स्वराज्य से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि यदि स्वराज्य देश के करोड़ों भूखे, अनपढ़, दलितों के लिए होना है तो जन-सामान्य की भाषा हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा। यदि हिंदी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रांत की होगी, तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा. विनोबा भावे ने इस प्रकार कहा, हिंदी को नदी नहीं, समुद्र बनना भारतीय राजनेताओं में गांधीजी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने द्रविड़ प्रदेश में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी को विधिवत सिखाया जाना आवश्यक समझा और उसके लिए उन्होंने ठोस योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, शिव प्रसाद गुप्ता सरीखे हिंदी-सेवियों को लेकर दक्षिण भारत हिन्द प्रचार सभा का गठन किया। 23 मार्च 1921 को विजयनगरम में उन्होंने कहा, “हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देश में भाईचारे की भावना पनपती है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। 10 नवम्बर, 1921 के ‘यंग इण्डिया’ में उन्होंने लिखा हिंदी के भावनात्मक अथवा राष्ट्रीय महत्व की बात छोड़ दें तो भी यह दिन प्रतिदिन अधिकाधिक आवश्यक मालूम होता जा रहा है कि तमाम राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिंदी सीख लेनी चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्यवाही हिंदी में ही की जानी चाहिए। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पूरे देश में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार काफी जोरदार ढंग से किया और उसे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान का पर्याय-सा बना दिया। 1935 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी के सभापतित्व में काका कालेलकर ने हिंदी में बारहखड़ी के लिए उपयोगी सुभाव भी दिए।

17 मई 1942 तथा 9 अगस्त 1946 को कहा था, “महान प्रांतीय भाषाओं को उनके स्थान से च्युत करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा की इमारत प्रांतीय भाषाओं की नींव पर ही खड़ी की जानी है. दोनों का लक्ष्य एक-दूसरे की जगह लेना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की कमी को पूरा करना है। 21 दिसम्बर, 1933 को पैराम्बूर की मजदूर सभा में बोलते हुए गांधी जी ने कहा, साथी मजदूरों, यदि आप सारे भारत के मजदूरों के दुःख-सुख को बांटना चाहते हैं, उनके साथ तादात्म्य

स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी सीख लेनी चाहिए, जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक उत्तर और दक्षिण भारत में कोई मेल नहीं हो सकता ।

महात्मा गांधी का यह भी मानना था कि हिंदी का प्रयोग केवल बोलचाल और देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर ही नहीं बल्कि न्यायालयों में सुनवाई के लिए भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "कोर्ट की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं को कोर्ट में जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। गांधी ने कहा था, मेरा विनम्र लेकिन दृढ़ विचार है कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिला देते और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को उनका जरूरी महत्व नहीं दिला देते, तब तक स्वराज्य की सारी बातें अर्थहीन रहेंगी।"

महात्मा गांधी ने यह भी लिखा था, "लाखों भारतीय जो गांवों में रहते हैं, उन्हें किताबों से कोई लेना-देना नहीं है। वे हिंदुस्तानी बोलते हैं, जिसे मुस्लिम उर्दू लिपि में लिखते हैं और हिंदू उर्दू या नागरी लिपि में लिखते हैं। इसलिए हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि हम दोनों ही लिपियां सीखें।" गांधी के इसी लेख का जिक्र करते हुए संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने 14 सितंबर, 1949 को भाषा के सवाल पर बहस के दौरान यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा को हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार करते हुए उसकी उर्दू और देवनागरी दोनों ही लिपियों में राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। हालांकि ऐसा हो न सका और संविधान ने देवनागरी में ही हिंदी को आधिकारिक भाषा माना।

संविधान सभा में 14 सितंबर, 1949 को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए किए गए महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया।

सन्दर्भ –

1. लाइव हिंदुस्तान , हिंदी के सबसे बड़े पैरोकार महात्मा गाँधी , 2018
2. कुमार कृष्णन, आंच , 2017
3. डॉ. कृष्णवीर सिंह, गांधी के रोचक संस्मरण
4. गांधी के विविध दृष्टिकोण – एक अनुशीलन : डॉ. मिनाक्षी शुक्ला